

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2025 को द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई में आयोजित मेसर्स अर्शिया लिमिटेड-सेज़ के बहुक्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 167वीं बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of 167th Meeting of the Approval Committee for Multi Sect or Special Economic Zone of M/s. Arshiya Limited-SEZ under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 19.08.2025, at Second Floor, SEEPZ Service Centre, SEEPZ-SEZ, Mumbai.

सेज़ का नाम Name of the SEZ	मेसर्स अर्शिया लिमिटेड M/s. Arshiya Limited
बैठक सं. Meeting No.	167वीं 167 th
दिनांक Date	19.08.2025 19.08.2025

उपस्थित सदस्य/Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री मयुर मानकर Shri Mayur Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त / Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ / SEEPZ-SEZ
2	श्री सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर / Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती / Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी / Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित / Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्री बीरेंद्र सिंह Shri Birender Singh	उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क Deputy/Assistant Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
5	श्रीमती स्मिता नाम्बियार Smt. Smitha Nambiar	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ -SEZ
6	श्री जय मनोज शाह Shri Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ -SEZ

श्री जय दीप, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री राहुल शिवणगोल एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) और श्री जनेश त्रिपाठी, एलडीसी भी बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए उपस्थित थे।		Shri Jai Deep, ADC (New SEZ), Shri Hanish Rathi, ADC (New SEZ), Shri Rahul Shivannagol ADC (New SEZ), Shri Soodershan Shindde, ADC (New SEZ) and Shri Janesh Tripathi, LDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
कार्यसूची मद संख्या 01 : दिनांक 29.05.2025 को आयोजित 166वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 166th meeting held on 29.05.2025.
दिनांक 29.05.2025 को आयोजित 166वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।		The Minutes of the 166 th Meeting held on 29.05.2025 were confirmed with consensus.

कार्यसूची मद संख्या 02 : कंपनी मेसर्स लक्ष्मिपति बालाजी सप्लाइ चैन मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम परिवर्तन, शेयरधारिता संरचना में परिवर्तन तथा निदेशक मंडल में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव।	Agenda Item No 02 : Proposal i.r.o. Change of Name of their company, Change in Shareholding Pattern and Change in Board of Directors of the company - M/s. Laxmipati Balaji Supply Chain Management Limited.
औपचारिक अनुमोदन संख्या एवं दिनांक: एफ.2/172/2007-एसईजेड दिनांक: 01.10.2018.	Formal Approval No. & Date : F.2/172/2007-SEZ Dated: 01.10.2018.
निर्णय :- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स अर्शिया लिमिटेड-एसईजेड स्थित मेसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाइ चैन मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें उनकी कंपनी का नाम मेसर्स लक्ष्मीपति बालाजी सप्लाइ चैन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मेसर्स इस्कंदर पावर लिमिटेड करने के साथ-साथ शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और कंपनी के निदेशक मंडल में बदलाव को भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार अनुमोदन दिया गया।	Decision:- After deliberation, the Committee approved proposal of M/s. Laxmipati Balaji Supply Chain Management Limited located at M/s. Arshiya Limited-SEZ for Change of Name of their company from M/s Laxmipati Balaji Supply Chain Management Private Limited to M/s Iskandar Power Limited along with Change in the Shareholding Pattern and Change in the Board of Directors of the company in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021 issued by MoC&I, New Delhi.
इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया।	Further, the Committee also directed the unit to comply with the following safeguards in terms of said Instruction No. 109, dated 18.10.2021.
1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।	1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित सभी लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करना।	2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and it's constituents.
3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, करदेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।	3. Applicability of and compliance with all Revenue / Company Affairs/SEBI etc, Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. इक्विटी में परिवर्तन/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में हस्तांतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण तत्काल सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।	4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional authority.
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलयन, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की करदेयता का आकलन करने का अधिकार होगा, जैसा भी लागू हो और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता होगी।	5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. आवेदक को राज्य सरकार के प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं।	6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।	7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नये नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।	8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

कार्यसूची मद संख्या 03 : मेसर्स प्लांचस डी गोमा इंडस्ट्रियल एस.ए. (क्लाइंट) मेसर्स ओन्सिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्शिया लिमिटेड, एसईजेड-मुंबई स्थित एफटीडब्ल्यूजेड इकाई से एनएसईजेड, नोएडा स्थित एफटीडब्ल्यूजेड इकाई में एफटीडब्ल्यूजेड माल के हस्तांतरण की मंजूरी।	Agenda Item No 03 : Proposal i.r.o Approval of Transfer of FTWZ Goods by M/s. Planchas De Goma Industrial S.A, Client of M/s. Onnsynex Ventures Private Limited from FTWZ Unit at Arshiya Ltd., SEZ-Mumbai to FTWZ Unit at NSEZ, Noida.
मेसर्स ओन्सिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (इकाई) ने मेसर्स प्लांचस डी गोमा इंडस्ट्रियल एस.ए., ग्राहक द्वारा अर्शिया लिमिटेड, एसईजेड-मुंबई स्थित एफटीडब्ल्यूजेड इकाई से एनएसईजेड, नोएडा स्थित एफटीडब्ल्यूजेड इकाई में एफटीडब्ल्यूजेड माल के हस्तांतरण के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। -	The M/s. Onnsynex Ventures Private Limited (unit) has submitted an application for approval of Transfer of FTWZ Goods by M/s. Planchas De Goma Industrial S.A, Client of M/s. Onnsynex Ventures Private Limited from FTWZ Unit at Arshiya Ltd., SEZ-Mumbai to FTWZ Unit at NSEZ, Noida.
निर्णय:- मेसर्स ऑनसिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उनके विदेशी ग्राहक, मेसर्स प्लांचस डी गोमा इंडस्ट्रियल एस.ए., स्पेन, ने रबर आउटसोल सामग्री (बीओई संख्या 1004459 दिनांक 26.03.2024, मूल्य €116,292.60, 20 पैकेज, 21,352 किलोग्राम, 5,398 संख्या) का आयात किया है। परिचालन दक्षता के लिए, ग्राहक अब शेष माल (इनवॉइस संख्या PIEXP-001FTWZ IN दिनांक 28.05.2025, मूल्य €39,268.80, 13 पैकेज, सकल वजन: 13,393 किलोग्राम, 3,394 संख्या) का अपने मुंबई FTWZ (अर्शिया लिमिटेड, पनवेल, महाराष्ट्र) से NSEZ, प्लॉट 23, नोएडा, LOA संख्या 10/03/2017-PROJ/8679 में स्थित अपनी FTWZ इकाई में इंट्रा-FTWZ स्थानांतरण चाहता है। इसका उद्देश्य नोएडा FTWZ में स्टॉक को समेकित करना है क्योंकि खरीदार मुख्य रूप से उत्तर भारत में हैं, जिससे DTA खरीदारों के लिए लॉजिस्टिक अनुकूलन और लागत प्रभावी प्रेषण संभव हो सके। नोएडा में प्रस्तावित स्थानांतरण इसलिए चाहा गया है क्योंकि सभी अपेक्षित DTA खरीदार (मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेष रूप से आगरा के जूता निर्माता) पास में स्थित हैं। माल छोटे, मांग-आधारित लॉट में जारी किया जाता है, जिससे खरीदार खरीद को वास्तविक मांग के अनुरूप बनाकर कार्यशील पूंजी का अनुकूलन कर सकते हैं। कई FTWZ से सोर्सिंग करना तार्किक और वित्तीय रूप से अक्षम है; इसलिए, आगे वितरण के लिए नोएडा FTWZ में समेकन सबसे व्यावहारिक और लागत प्रभावी तरीका है। विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स ओन्सिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें मेसर्स प्लांचस डी गोमा इंडस्ट्रियल एस.ए., मेसर्स ओन्सिनेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहक, अर्शिया लिमिटेड, SEZ-मुंबई स्थित FTWZ इकाई को उनके NSEZ, नोएडा स्थित FTWZ इकाई में MoC&I निर्देश संख्या 117, पत्र संख्या K-43022/24/2024-SEZ, दिनांक 24.09.2024 के अनुसार स्थानांतरित करने का प्रस्ताव था। समिति ने निम्नलिखित शर्तों का पालन करने का भी निर्देश दिया: i. शेष माल की पहचान अर्थात रबर आउटसोल सामग्री जिसका घोषित मूल्य €39,268.80 है, 13 पैकेज, कुल वजन:	Decision:- M/s Onnsynex Ventures Pvt. Ltd. informed Approval Committee that their foreign client, M/s Planchas De Goma Industrial S.A., Spain, imported rubber outsole material (BOE No. 1004459 dated 26.03.2024, value €116,292.60, 20 packages, 21,352 Kgs, 5,398 Nos). For operational efficiency, the client now seeks intra-FTWZ transfer of the balance consignment (Invoice No. PIEXP-001FTWZ IN dated 28.05.2025, value €39,268.80, 13 packages, gross weight : 13,393 Kgs, 3,394 Nos) from their Mumbai FTWZ (Arshiya Ltd., Panvel, Maharashtra) to their FTWZ unit located in NSEZ, Plot 23, Noida, LOA No. 10/03/2017-PROJ/8679). The purpose is to consolidate stock at Noida FTWZ since buyers are mainly in North India, enabling logistical optimization and cost-effective dispatch to DTA buyers. The proposed transfer to Noida is sought as all anticipated DTA buyers (mainly shoe manufacturers in North India, particularly Agra) are located nearby. Goods are released in smaller, demand-based lots, allowing buyers to optimize working capital by aligning procurement with actual demand. Sourcing from multiple FTWZs is logistically and financially inefficient; Therefore, consolidation at Noida FTWZ is the most practical and cost-effective approach for further distribution. After deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. Onnsynex Ventures Private Limited for Transfer of afore-mentioned goods on behalf of M/s. Planchas De Goma Industrial S.A, Client of M/s. Onnsynex Ventures Private Limited FTWZ Unit at Arshiya Ltd., SEZ-Mumbai to their FTWZ Unit at NSEZ, Noida as per MoC&I Instruction No. 117, vide letter No. K-43022/24/2024-SEZ, dated 24.09.2024. The Committee also directed to comply with the following conditions :

13,393 किलोग्राम, 3,394 नग चालान संख्या PIEXP-001FTWZ IN दिनांक 28.05.2025 के तहत, जो वास्तव में BOE संख्या 1004459 दिनांक 26.03.2024 के तहत आयात किए गए थे और अर्शिया FTWZ से नोएडा FTWZ इकाई में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था, विवरण, मात्रा और वजन के संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी, अर्शिया FTWZ द्वारा सत्यापित किया जाना है। इकाई माल के सुचारु हस्तांतरण के लिए पूरे लेनदेन का उचित दस्तावेजीकरण/रिकॉर्ड बनाए रखेगी। ii. इन सामानों की पूरी लोडिंग सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/निर्दिष्ट अधिकारी, अर्शिया FTWZ की उपस्थिति में की जानी है। निर्दिष्ट अधिकारी निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि माल का स्थानांतरण जीआईएस प्रणाली से युक्त जीपीएस सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाए। iii. नोएडा एसईजेड में प्रवेश के समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा माल की 100% जांच की जाएगी ताकि संभावित गलत घोषणा/छिपाव को रोका जा सके। माल का स्थानांतरण पूरा होने पर इकाई डीसी कार्यालय, एसईईपीजेड को सूचित करेगी। iv. इकाई इन वस्तुओं के स्थानांतरण के दौरान एसईजेड अधिनियम 2005, एसईजेड नियम 2006 और सभी लागू सीमा शुल्क विनियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	i. The identity of balance goods viz. rubber outsole material having declared value €39,268.80, 13 packages, gross weight : 13,393 Kgs, 3,394 Nos under Invoice No. PIEXP-001FTWZ IN dated 28.05.2025, which were actually imported vide BOE No. 1004459 dated 26.03.2024 and proposed to be transferred from Arshiya FTWZ to Noida FTWZ unit is to be verified by Authorized Officer, Arshiya FTWZ, in terms of description, quantity and weight. The unit shall maintain proper documentation/record of the entire transaction for smooth transfer of goods. ii. The entire loading of these goods is to be done in the presence of Authorized Officer/Specified Officer, Arshiya FTWZ to ensure. The Specified Officer will supervise and will ensure that the goods are transferred in a GPS enabled vehicle tracking system mounted with GIS system. iii. The goods shall be subjected to 100% examination by Authorized Officer upon entry at Noida SEZ to rule out potential mis-declaration/concealment. The unit shall intimate DC office, SEEPZ, once the transfer of goods is complete. iv. The unit shall ensure strict compliance with the provisions of SEZ Act 2005 , the SEZ Rules 2006 and all applicable customs regulations while undertaking transfer of these goods.
अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।	Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Mr. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ